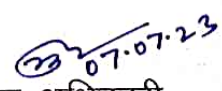


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटाँड़(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-141/2023

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
07.2023	<u>—:आदेश:—</u> अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक 461/रा0, दिनांक-14.5.16 के आधार पर संधारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या-01 ने अंचल निरीक्षक करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटाँड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-कुरुवा, थाना सं0-83, खाता सं0-60/4, दाग सं0-1220 रकवा-0.63 एकड़ भूमि जमाबंदीदार-बुधन मियाँ पिता-पैरू मियाँ ग्राम-कुरुवा, पोस्ट-कुरुवा, थाना-करमाटाँड़, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म-पुरातन पठित कहकर दर्ज है तथा जमाबन्दी पंजी के जमाबन्दी न0 60/4 में वर्ष 2002-2003 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी-11 के प्राधिकार कालम में जमाबन्दी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबन्दीदार के वारिशानो के द्वारा उक्त जमाबन्दी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। प्रतिवेदन के आधार पर वादी अथवा उनके जीवित वारिशान को कई मौके अपना पक्ष रखने हेतु दिया गया। किन्तु वादी अथवा उनके जीवित वारिशान ने कभी भी उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा और न ही कोई कागजात पेश किया। अतः अंचल करमाटाँड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-कुरुवा, थाना सं0-83, के जमाबन्दी संख्या-60/4 पर बंदोबस्ती संबंधी कोई साक्ष्य या कागजात अप्राप्त रहने के कारण जमाबंदी संख्या-60/4 को संदिग्ध मानते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कारवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को भेजें।  अंचल अधिकारी, करमाटाँड़(विद्यासागर), जामताड़ा।	